

5

जिला पंचायत/क्षेत्र समिति प्रपत्र संख्या 5

(नियम 41 देखिये)

डबुल साइडेड कार्बन पेपर पर अमिट पेन्सिल से लिखा जायेगा
परिषद जिले के नाम सहित क्षेत्र समिति के नाम का स्वड स्टान्ड

संख्या _____ रसीद संख्या 10 _____ से

रजिस्टर संख्या _____ संख्या 13500017 से

संख्या _____ रसीद के अनुसार किस मद्दे वसूल की गई

न _____ रसीद के अनुसार उससे वसूल की गई धनराशि

फॉर्म नंबर _____ रसीद के अनुसार कर-समाहर्ता का नाम, जिसने

आकार _____ धनराशि वसूल की _____

इस कूपन को जमा करने वाले _____

अधिकारी का नाम तथा पदनाम _____

यसू0यू0पी0-01 जिला पंचायत-02.05.15-2000 बुक (डी0टी0पी0/अपस्टे)।

जिला पंचायत/क्षेत्र समिति के नाम सहित क्षेत्र समिति के नाम का स्वड स्टान्ड

वही संख्या _____ संख्या

रसीद के अनुसार भुगतानकर्ता का नाम

रसीद के अनुसार उससे वसूल की गई धनराशि


रसीद के अनुसार किस मद्दे वसूल की गई

रसीद के अनुसार कर-समाहर्ता का नाम, जिसने

धनराशि वसूल की

इस कूपन को जमा करने वाले

अधिकारी का नाम तथा पदनाम



02
01
03
11
10

जिला पंचायत/क्षेत्र समिति प्रपत्र संख्या 5
(नियम 41 देखिये)

("डबुल साइड्ड कार्बन पेपर" पर अमिट पेस्टिल से लिखा जायेगा)
जिला परिषद जिले के नाम सहित क्षेत्र समिति के नाम का रबड स्टान्स
वही संख्या _____ रसीद संख्या _____
मांग रजिस्टर संख्या _____ से _____
(रुपया शब्दों में)
बिल संख्या _____ के पूर्ण/आंशिक भुगतान
के मद्दे प्राप्त हुआ।

रुपया रसीद फाउंड
आयुक्त, विकास अधिकारी
मन्नाकाज 17/18
18.760/2-रोकड़िया
कर-समाहर्ता (टैक्स कलेक्टर)

लेखाकार
मांग तथा वसूली का प्यारी लिपिक
कर रजिस्टर
17/18/17

पी0एस0यू0पी0-01 जिला पंचायत-02.05.15-2000 बुक (डी0टी0पी0/आफरेट)।


जिला परिषद/जिले के नाम सहित क्षेत्र समिति के नाम का रजिस्टर नं
वही संख्या _____ रसीद संख्या _____
रसीद के अनुसार भुगतानकर्ता का नाम _____
रसीद के अनुसार उससे वसूल की गई धनराशि _____
रसीद के अनुसार किस मद्दे वसूल की गई _____
रसीद के अनुसार कर-समाहर्ता का नाम, जिसने
धनराशि वसूल की _____
इस कूपन को जमा करने वाले _____
अधिकारी का नाम तथा पदनाम _____

कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ

पत्रांक 14 / नक्शा / नि0वि0 / जि0पं0 / 2017-2018

दिनांक 25 अप्रैल 2017

श्री रमेश कुमार
ग्राम भरवारा
विकास खण्ड-चिनहट
तहसील-सदर
जनपद लखनऊ।



आपके प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न मानचित्र पर समयक विचारोपरान्त मा0 अध्यक्ष जी के द्वारा दिनांक 20.04.2017 में मानचित्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

ग्रामसभा भरवारा विकास खण्ड चिनहट तहसील सदर जनपद लखनऊ के खसरा संख्या 843 के प्लॉट संख्या 24, 24ए, 24बी में व्यवसायिक भवन का निर्माण कार्य हेतु कुल कवर्ड एरियां 1875.99 वर्गमीटर में मानचित्र की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों सहित दी जाती है।

- 1-प्रस्तावित भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय तथा निर्माणाधीन अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री मार्ग पर एकत्र न की जाये।
- 2-जल-मल की निकासी मार्ग की ओर न की जाये।
- 3-मुख्य मार्ग के मध्य से बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबधित दूरी के सम्बन्ध में रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल रूल्स 1965 के नियम-7 यथावत् लागू रहेंगे।
- 4-प्रतिबन्ध रहेगा कि भवन का निर्माण कार्य कुल कवर्ड एरियां 1875.99 वर्गमीटर में ही निर्माण कराया जाये।
- 5-चूंकि आप द्वारा व्यवसायिक भवन का निर्माण कार्य कराया जाना है, अतः अग्नि शमन व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- 6-प्रतिबन्ध रहेगा कि दो वर्ष के अन्दर कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र कार्यालय जिला पंचायत, लखनऊ से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- 7-भवन का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व स्ट्रक्चरकल डिजाइन ड्राइंग बनवाकर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करेंगे, अन्यथा की दशा में स्वयं उत्तरदायी होंगे।

बिना किसी पूर्व सूचना के नक्शों/भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्धन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन भवन/मानचित्र में प्रस्तावित है, तो जिला पंचायत लखनऊ से स्वीकार किये बिना परिवर्तन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा। भू-स्वामित्व एवं किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में जिला पंचायत, लखनऊ उत्तरदायी नहीं होगी।

अनुमोदित मानचित्र किसी भी दशा में स्वामित्व का अभिलेख नहीं माना जायेगा।

①

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, लखनऊ
जिला पंचायत, लखनऊ